

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

सवाई सिंह पुत्र भोमसिंह जाति
राजपूत निवासी दान जी की होदी,
बाड़मेर (मैसर्स माजीसा डीस्पोजल
ट्रेडिंग, लक्ष्मी सिनेमा के पास,
बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :—

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स माजीसा डीस्पोजल ट्रेडिंग, लक्ष्मी सिनेमा के पास, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 07.11.2023 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) जो कि एक बर्तन में 5 कि0ग्रा0 भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 250-250 ग्राम कुल 01 कि0ग्रा0 पनीर (खुला) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2419 अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गए। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर



द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना **अनसेफ** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **27.03.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह उक्त प्रकरण में उसके विरुद्ध लगाए गए जुर्म स्वेच्छा से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होना प्रकट करते हुए यह भी निवेदन किया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है, लिहाजा उसके विरुद्ध नरम दृष्टिकोण रखते हुए माफी प्रदान करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक **27.03.2024** में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वेच्छा से एवं लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में मिल्क फ़ैट कन्टेन्ट ऑफ द ड्राई मैटर बेसिस के आँकड़े निर्धारित न्यूनतम मानक 50.0% के मुकाबले **45.30%** पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से कम है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं जुर्म स्वीकारोक्ति प्रकट की गई है, लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन



करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 15,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक **28.01.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह) अधिकारी एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर